eti cc

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी– अरूण कुमार जैन (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	आदेश दिनांक
144/2025	12.03.2025	8/5/2026

उनवान

1. श्री लादूलाल पिता नानूराम सुथार निवासी कारोई तहसील व जिला भीलवाड़ा।

––– प्रार्थी

बनाम

1. श्री भंवरलाल धाकड़ पिता रामलाल धाकड़ निवासी जहाजपुर रोड धाकड़ मोहल्ला शाहपुरा जिला भीलवाड़ा।
2. श्री महेन्द्र सिंह पिता शिव सिंह चुण्डावत निवासी कारोईसर खुर्द तहसील व जिला भीलवाडा।
3. किशन पिता जोधा जाट निवासी पार्वतीपुरा तहसील व जिला भीलवाडा।
4. शम्भु लाल पिता छोगा जाट निवासी पार्वतीपुरा तहसील व जिला भीलवाडा।
5. सायरी पुत्री छोगा जाट निवासी पार्वतीपुरा तहसील व जिला भीलवाडा।
6. सोहनी पुत्री छोगा जाट निवासी पार्वतीपुरा तहसील व जिला भीलवाडा।
7. हेमराज पिता जोधा जाट निवासी पार्वतीपुरा तहसील व जिला भीलवाडा।
8. गोपी लाल पिता छोगा जाट निवासी पार्वतीपुरा तहसील व जिला भीलवाडा।
9. चाँदी पुत्री जोधा जाट निवासी पार्वतीपुरा तहसील व जिला भीलवाडा।
10. जमनी पुत्री जोधा जाट निवासी पार्वतीपुरा तहसील व जिला भीलवाडा।
11. नानू पुत्री जोधा जाट निवासी पार्वतीपुरा तहसील व जिला भीलवाडा।
12. नानी पुत्री छोगा जाट निवासी पार्वतीपुरा तहसील व जिला भीलवाडा।
13. बदाम पुत्री छोगा जाट निवासी पार्वतीपुरा तहसील व जिला भीलवाडा।
14. बाली पुत्री छोगा जाट निवासी पार्वतीपुरा तहसील व जिला भीलवाडा।
15. राम लाल पुत्री छोगा जाट निवासी पार्वतीपुरा तहसील व जिला भीलवाडा
16. श्रीमान तहसीलदार साहब भीलवाडा।

– विपक्षीगण

–: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 आर0एल0आर एक्ट :–

उपस्थित:–

1. **अधिवक्ता प्रार्थी श्री लादूलाल जाट उपस्थित।**
2. **विपक्षीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।**
3. **अधिवक्ता विपक्षी संख्या 02 भैरूलाल बापना उपस्थित।**
4. **अप्रार्थी संख्या 16 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित।**

–:: आदेश ::

आदेश दिनांक 8/5/26

प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री लादूलाल जाट प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत पेश किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर विधिक कार्यवाही प्रारंभ की गई।

प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि ग्राम पार्वतीपुरा पटवार हल्का गुरलां, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र गुरलां, तहसील व जिला भीलवाड़ा की आराजी संख्या 232/5 रकबा 0.4173 हैक्टेयर कृषि भूमि स्थित है। उक्त कृषि भूमि प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है और विपक्षीगण पड़ौसी खातेदारान है। प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 01 लगायत 15 की आराजियात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नहीं होने के कारण विवाद होता रहता है। अतः प्रार्थी अपनी खातेदारी आराजी की मौके पर राजस्व अभिलेख अनुसार नपती कराई जाकर मौके पर स्थाई सीमा चिन्ह स्थापित कराना चाहता है। प्रार्थी उक्त वर्णित भूमि का खातेदार काश्तकार है।

8/5/26
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

इस पर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 02 की ओर से वकालतनामा प्राप्त। अप्रार्थी संख्या 01 व 03 लगायत 15 के बाद सूचना उपस्थित नहीं। अप्रार्थी संख्या 01 व 03 लगायत 15 के बाद सूचना उपस्थित नहीं होने से अप्रार्थी संख्या 01 व 03 लगायत 15 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 02 उपस्थित। विपक्षी संख्या 02 ने जवाब प्रस्तुत नहीं किया। विपक्षी संख्या 02 का जवाब बंद कर प्रार्थी अधिवक्ता व विपक्षी संख्या 02 की बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया कि प्रार्थी अपनी खातेदारी आराजियात की पत्थरगढ़ी कराना चाहता है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। उभयपक्ष की बहस पर मनन एवं चिंतन किया गया। संबंधित विधि का अनुशीलन किया गया।

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबंदी का अवलोकन किया। प्रकरण के तथ्यों व उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। प्रार्थी उक्त आराजियात के खातेदार काश्तकार होकर इन्हें अपनी आराजियात की नपती करा सीमांकन (पत्थरगढी) कराने का अधिकार निहित है। प्रार्थी प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि का खातेदार होने से सीमांकन (पत्थरगढी) कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज० भू राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है।

अतः तहसीलदार भीलवाडा को सीमांकन (पत्थरगढी) करने का आदेश दिया जाता है कि ग्राम पार्वतीपुरा पटवार हल्का गुरलां, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र गुरलां, तहसील व जिला भीलवाड़ा की आराजी संख्या 232/5 रकबा 0.4173 हैक्टेयर कृषि भूमि स्थित है। उक्त कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी कार्य संपादन से पूर्व अप्रार्थी संख्या 01 व 03 लगायत 15 को सम्यक रूप से सूचित किया जावे। पत्थरगढ़ी की कार्यवाही उभय पक्षकारों की उपस्थिति में सीमाचिन्ह निशानात कायम किये जाने की हद तक है। इस आदेश में किसी पक्ष की बेदखली व कब्जा देने की कार्यवाही नहीं की जाए तथा किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो एवं मौके पर फसल खडी न हो तो भू–प्रबन्ध बन्दोबस्त के नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित कर सीमांकन (पत्थरगढी) हेतु तहसीलदार भीलवाडा को 1000–00 अक्षरे एक हजार रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे, तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थिया से मौके पर प्राप्त करे। निर्णय की पालनार्थ तहसीलदार भीलवाडा को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 8/3/2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो और नंबर से कम हो।

8/3/26

(अरूण कुमार जैन)
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा